न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–04 / 2018

प्यारेलाल पुत्र श्री कालूराम जाति बावरी निवासी गुंजासरी
तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

––अपीलान्ट / प्रार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक हनुमानगढ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.10.2015 व आदेश दिनांक 20.06.2018 उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा जिसकी रूह से अपीलान्ट का लाईसेंस एमएल गन टोपीदार 125 / 99 निरस्त किया गया बहाल करने का प्रार्थना पत्र भी विधि विरूद्ध रूप से अस्वीकार कर खारिज किया गया। बमुराद मन्सूखी उक्त आदेश व स्वीकार किए जाने अपील।

उपस्थितिः–1.श्री राजेन्द्र वर्मा वकील अपीलान्ट
2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः–14.03.2019

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट एक सद्भावी व्यक्ति है। अपीलान्ट द्वारा अपने नाम से एक टोपीदार लाईसैस एमएल गन संख्या 125 / 99 जारी करवाया हुआ था। प्रार्थी अनपढ गरीब

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

व्यक्ति है तथा लोगो/काश्तकारो की कृषि भूमि की रखवाली का कार्य करता है जिस बाबत उसे अपनी रोजी रोटी के लिए उक्त लाईसेंस की हर समय आवश्यकता रहती थी व है। श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा द्वारा अपने आदेश कमांक न्याय/आर्म्स 2015/597 आदेश दिनांक 06.10.2015 द्वारा प्रार्थी का उक्त लाईसेंस निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी ने उक्त लाईसैंस सख्या 125/99 को पुनः बहाल कर नवीनीकरण करने बाबत श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा के समक्ष आवेदन किया जिसके उपरान्त थानाधिकारी भादरा से जांच रिपोर्ट चाही गई। जांच रिपोर्ट मे प्रार्थी/अपीलान्ट के खिलाफ मुकदमा नंबर 298 दिनांक 18.6.2013 अन्तर्गत धारा 9/51 व 57 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज होने व नवीनीकरण किया जाना उचित नही होने की रिपोर्ट थानाधिकारी भादरा द्वारा श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा के समक्ष पेश की जिस पर प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2018 को निरस्त करते हुए दाखिल दफतर किया गया। प्रार्थी के खिलाफ उक्त मुकदमा झूठा दर्ज करवाया गया था। न्यायालय द्वारा प्रार्थी को उक्त प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है। श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट का उक्त लाईसैंस विधि विरूद्ध रूप से निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अपीलान्ट श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा द्वारा आदेश दिनांक 06.10.2015 व 20.06.2018 को निरस्त करवाने हेतु यह अपील की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट एवं अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या 439/2013 (प्राथमिकी सं. 298/2013 पी.एस. भादरा) अन्तर्गत धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि. व धारा 3/25, 30 आर्म्स एक्ट में आदेश दिनांक 01.04.2017 द्वारा अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जा चुका है। अपीलान्ट काश्तकारो की कृषि भूमि की रखवाली का कार्य करता है जिस बाबत उसे अपनी रोजी रोटी के लिए उक्त लाईसेंस की हर समय आवश्कता रहती है। अपीलान्ट के व्यवहार पर समस्त किसान गांव करणपुरा, गुजासरी व समस्त किसान ढाणी खोखरान सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा आर्म्स लाईसेस को नवीनीकरण हेतु अनुशंषा की गई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट का लाईसैंस पुनः बहाल कर नवीनीकरण किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस थाना भादरा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा के आदेश दिनांक 06.10.2015 व आदेश दिनांक 20.6.2018 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। वकील अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस के वक्त यह कथन किया कि माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा न्यायालय द्वारा नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या 439/2013 (प्राथमिकी सं. 298/2013 पी.एस. भादरा) अन्तर्गत धारा 9/51 वन्य जीव संरक्षण अधि. व धारा 3/25, 30 आर्म्स एक्ट में आदेश दिनांक 01.04.2017 द्वारा अपीलान्ट को दोष मुक्त किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय अपर सैंशन न्यायाधीश भादरा के आदेश दिनांक 01.4.2017 की प्रति का अवलोकन करने से न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दोष मुक्त किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड योग्य बनते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.10.2015 व 20.06.2018 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकार को साक्ष्य पेश करने एवं बहस हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनांक 14.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner